न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

मेहराम पुत्र नाथूराम जाट
निवासी खिदरपुरा

1. खांगाराम पुत्र डालूराम कुम्हार
2. घीसाराम पुत्र भूराराम कुम्हार
3. पूनाराम पुत्र भूराराम कुम्हार
4. उमाराम पुत्र हेमाराम जाट
   निवासी खिदरपुरा तह. परबतसर
5. ऑबीसी बैंक परबतसर
6. तहसीलदार, परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट
उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता अप्रार्थी 1 से 4

मुकदमां नम्बर :– 2020/00149 निर्णय दिनांक :– 02.03.2022

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि ग्राम खिदरपुरा के खसरा नम्बर 116 रकबा 2.36 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि के सबसे नजदीक कटाणी रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 128 के पश्चिमी तरफ लगता हुआ है। जिससे अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 128 व 130 में से प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 116 में आने – जाने हेतु 15 फुट चौड़ा रास्ता घोषित फरमाया जावे।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, तहसीलदार परबतसर को मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। अप्रार्थीगण 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामनिंरजन बोहरा ने दिनांक 02.09.2020 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी 5, 6 के नोटिस विधिक तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 23.02.2022 को अप्रार्थी 1 से 4 की ओरस जबाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने हेतु पूर्व से रास्ता उपल्बध है, प्रार्थी ने रास्ते हेतु पूर्व में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2012 को इसी न्यायलाय में पेश किया था जिसका अनुवान नानूराम बनाम घीसाराम वगैराह है जिसमें मौका कमीश्नर द्वारा दिनांक 27.11.2012 को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर जिसमें जिसके पुराने खसरा नम्बर 43, 42/1, 42 से होता हुआ रास्ता बताया है वर्तमान में खसरा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

नम्बर नये आ गये है इसी आधार पर प्रार्थीगण ने पुनः रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है पुराने प्रार्थना पत्र को प्रार्थी ने दिनंक 30.01.2013 को जरिये विड्रोल खारिज करवा लिया है जिससे यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पूर्व से ही मौजूद है जो दिनांक 27.11.2012 की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की भूमि में जहां से रास्ते की मांग की है वहां अप्रार्थी संख्या 4 उमाराम का मकान बना हुआ है तथा आगे खेत में राज्य सरकार द्वारा एनीकट का निर्माण करवाया हुआ है उक्त सभी तथ्यों की जानकारी प्रार्थी को होने के बावजूद गलत तथ्य पेश कर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है।

3. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारो की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने ग्राम खिदरपुरा में अपनी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 2.36 हैक्टयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य 12 कुल 13 खातेदारो के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है में अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा 1.46 हैक्टयर जिसकी खातेदारी अप्रार्थी उमाराम के नाम व खसरा नम्बर 130 रकबा 1.94 हैक्टयर भूमि जिसकी खातेदारी अप्रार्थी खांगाराम, घीसाराम, पुनाराम के नाम दर्ज है इसमें ग्यारसीदेवी का भी नाम दर्ज है जिसका स्वर्गवास हो चुका है। तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 128 का पूर्वी हिस्सा पानी का भराव क्षेत्र है तथा खसरा नम्बर 128, 130 की मध्य सीमा पर एक पानी ऐनिकट बना हुआ है उक्त एनीकट का पानी खसरा नम्बर 128 में भरता है। अप्रार्थी द्वारा पूर्व प्रार्थना पत्र नानूराम बनाम घीसाराम मुकदमां नम्बर 162/2012 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें अनुसार पूर्व में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 116 गत खसरा नम्बर 57/4 हेतु रास्ते की मांग की गई है जिसको प्रार्थी नानूराम ने ही दिनांक 30.01.2013 को यह बता कर विड्रोवल खारिज करवा लिया कि " आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है अतः सहमति के अनुसार ही रास्ता स्वीकृत कराना चाहते है अतः प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहते है" तत्पश्चात सेटलमेन्ट होकर प्रार्थी के गत खसरा नम्बर 57/4 के नवीन खसरा नम्बर 116 तथा अप्रार्थीगण के गत खसरा नम्बर 60/2 के नवीन खसरा नम्बर 128, व गत खसरा नम्बर 60 के नवीन खसरा नम्बर 130 कायम हुए है। पूर्व में गत खसरा नम्बर 60/2 व 60 में से ही प्रार्थी ने रास्ता उत्तरी सीमा पर चाहा था जिसमें प्रार्थी के अनुसार ही मौके पर राजीनामा हो जाने तथा मुताबिक राजीनामा ही मौके पर रास्ता कायम किये जाने पर प्रार्थना पत्र जरिये विड्रोवल खारिज करवा लिया था। जिसके बाद पुनः उसी खसरान में से उसी तरफ रास्ते की मांग इस प्रार्थना पत्र में की गई है। गत प्रार्थना पत्र संख्या 162/2012 में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार गत खसरा नम्बर 54/4, 40, 40/1, 57/1,

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

57/2, 56 व 47 की भूमि प्रार्थी स्वंय की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। मौके अनुसार प्रार्थी की मांग अनुसार खसरा नम्बर 54/4 वर्तमान खसरा नम्बर 116 के लगतार खसरान प्रार्थी की खातेदारी भूमि के है जो रेल्व लाईन से जुड़े हुए है तथा रेल्वे लाईन से प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि के साथ – साथ प्रार्थी की आवासीय ढाणी तक मौके पर रास्ता चालू है। प्रार्थी ने जहां से रास्ते की मांग की है वहां खसरा नम्बर 128 में उत्तरी सीमा पर अप्रार्थी का मकान बना हुआ है तथा 276 मीटर दूरी पर खसरा नम्बर 130 की सीमा लगती है। खसरा नम्बर 128 व 130 की उत्तरी – पूर्वी सीमा पर एक एनिकट बना हुआ है जिसका जल भराव का क्षेत्र खसरा नम्बर 128 ही है एनिकट के आगे पूर्वी तरफ 84 मीटर दूरी पर प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 116 स्थित है, अप्रार्थी के मकान व एनिकट से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है, साथ ही प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 116 में आने जाने हेतु प्रार्थी की अन्य खातेदारी सुदा भूमियों में से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि जहां किसी खातेदार को उसकी जोत सुदा भूमि के उपयोग उपभोग करने हेतु कोई रास्ता या रास्ते का विकल्प मौजूद नहीं हो तो ही सबसे नजदीकी कटाणी रास्ते से रास्ता दिया जा सकता है। इस प्रकरण में प्रार्थी के पास रास्ते का विकल्प मौजूद है प्रार्थी को रास्ते की अति आवश्यकता भी नहीं है, यह पूर्व प्रार्थना पत्र 162/2012 नानूराम बनाम घीसाराम में प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। जिससे प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)